प्रेषक,

सहदेव,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ::दिनांक 19जुलाई, 2017

विषय:-**प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवासों का आवंटन महिला/पुरूष/ संयुक्त नाम से किये जाने के सम्बंध में दिशा-निर्देश**।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-824/वि0का0/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2017 दिनांक 04.07.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर-5.3.2 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का आवंटन केवल महिला सदस्य के नाम पर किये जाने के निर्देश निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर-5.3.2 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवास आवंटन के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया है:-

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत विधवा/अविवाहिता/अकेले रहे रहे व्यक्ति के मामलों को छोड़कर पात्र परिवार की वरिष्ठतम महिला सदस्य के नाम से ही आवास का आवंटन किया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी अन्य महिला सदस्य अथवा पति-पत्नी के संयुक्त नाम से आवास का आवंटन किया जा सकता है।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
सहदेव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 19/2017/686(1)/38-4-2017, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकरी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।